भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1944

जिसका उत्तर 3 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

12 आषाढ़, 1941 (शक)

सिम कार्डों को आधार नम्बर के साथ जोड़ना

1944. श्री एम. सेल्वराज :

श्री सु. थिरूनवुक्करासर :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने निदेश जारी किए हैं और देश में सभी मोबाइल प्रयोक्ताओं हेतु मोबाइल सिम कार्ड को आधार नम्बर से जोड़ना अनिवार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आधार नम्बर को मोबाइल सिम कार्ड से जोड़ने का कारण और प्रयोजन क्या है; और

(घ) आज की तिथि के अनुसार आधार नम्बर से जुड़े मोबाइल सिमों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कल संख्या क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) से (घ) : जी, नहीं। देश में सभी मोबाइल प्रयोक्ताओं के लिए मोबाइल सिम कार्डों को आधार नम्बर के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को अनिवार्य करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किए गए। तथापि, आधार आधारित ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) प्रक्रिया को दिनांक 16.08.2016 को नये मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिए ई-केवाईसी की वैकल्पिक प्रक्रिया और दिनांक 23.03.2017 को मौजूदा मोबाइल सब्सक्राइबरों के पुनः सत्यापन के एक तरीकों के तौर पर अंगीकृत किया गया ।

बाद में, न्यायधीश के.एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिक (ग) सं. 494 में दिनांक 26.09.2018 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश के अनुसरण में दूरसंचार विभाग ने दिनांक 26.10.2018 के अपने आदेश (प्रतिलिपि http://dot.gov.in/sites/default/files/Discontinuation%20of%20E-KYC%20-%20Order%20dated%2026.10.2018.PDF) के जरिए ग्राहकों को नये मोबाइल कनेक्शन देने और मौजूदा मोबाइल ग्राहकों के पुनः सत्यापन के लिए यूआईडीएआई की आधार आधारित ई-केवाईसी सेवा का प्रयोग बंद कर दिया था। तथापि, बाद में एक अध्यादेश के जरिए यह अनुमति दी गई है कि शैक्षणिक आधार पर इसका प्रयोग किया जाए।

******